न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 3 /2020 (Bank Case)

शुभम हाउसिंग डवलपमेन्ट फाईनेन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड शाखा– 04 व 05, प्रथम मंजिल, अन्नपूर्णा डिपार्टमेन्टल स्टोर के उपर, डॉ. शीला चौधरी रोड, तलवण्डी, कोटा (राज0)–305001 जरिये प्राधिकृत अधिकारी

– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. श्री कमरूद्दीन पुत्र श्री ईद मौहम्मद
   पता–(1) सर्वे नं0 512, प्रेम नगर प्रथम, कच्ची बस्ती, पुलिस चौकी के पास, तहसील लाडपुरा कोटा, (राज0)–324005
2. श्रीमती बरकत निशा पत्नी श्री कमरूद्दीन
   पता–(1) सर्वे नं0 512, प्रेम नगर प्रथम, कच्ची बस्ती, पुलिस चौकी के पास, तहसील लाडपुरा कोटा, (राज0)–324005

– अप्रार्थीगण / ऋणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थित

श्री अविनाश ठाकुर, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक: 21 .01.2020

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि शुभम हाउसिंग डवलपमेन्ट फाईनेन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड शाखा– 04 व 05, प्रथम मंजिल, अन्नपूर्णा डिपार्टमेन्टल स्टोर के उपर, डॉ. शीला चौधरी रोड, तलवण्डी, कोटा (राज0)–305001 से अप्रार्थीगण ने दिनांक 24.09.2014 **को रूपये** 4,00,000/–(अक्षरेः रूपये चार लाख मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति श्री कमरूद्दीन पुत्र श्री ईद मौहम्मद की सर्वे नं0 512, प्रेम नगर प्रथम, कच्ची बस्ती, तहसील लाडपुरा, जिला– कोटा (राज0) स्थित सम्पत्ति (उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार क्षेत्रफल 790.5 वर्ग फीट) जिसकी चर्तुः सीमा पूर्व में– हसन की सम्पत्ति, पश्चिम में–महेश की सम्पत्ति, उत्तर में– अन्य सम्पत्ति, दक्षिण–रोड़** को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 31.10.2018 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थीगण के खातों मे 3,00,204/– (अक्षरे रूपये तीन लाख दो सौ चार मात्र) बकाया रकम दिनांक 31.10.2018 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज0)

Scanned by CamScanner

अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 27.11.2018 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, तथा नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र **"राष्ट्रदूत"** एवं अंग्रेजी समाचार पत्र **"दी टाईम्स ऑफ इण्डिया"** में दिनांक 12.06.2019 को प्रकाशन भी कराया, इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 27.11.2018 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, तथा नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र **"राष्ट्रदूत"** एवं अंग्रेजी समाचार पत्र **"दी टाईम्स ऑफ इण्डिया"** में दिनांक 12.06.2019 को प्रकाशन भी कराया, इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत दिनांक 27.11.2018 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, तथा नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र **"राष्ट्रदूत"** एवं अंग्रेजी समाचार पत्र **"दी टाईम्स ऑफ इण्डिया"** में दिनांक 12.06.2019 को प्रकाशन भी कराया, इसके पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/बंधककर्ता **अचल सम्पत्ति श्री कमरूददीन पुत्र श्री ईद मौहम्मद की सर्वे नं0 512, प्रेम नगर प्रथम, कच्ची बस्ती, तहसील लाडपुरा, जिला– कोटा (राज0) स्थित सम्पत्ति (उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार क्षेत्रफल 790.5 वर्ग फीट) जिसकी चर्तुः सीमा पूर्व में– हसन की सम्पत्ति, पश्चिम में–महेश की सम्पत्ति, उत्तर में– अन्य सम्पत्ति, दक्षिण–रोड़** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 21.01.2020 को सुनाया गया।

(ओम कसेरा)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

Scanned by CamScanner